राज्य सभा सचिवालय

स्था. (लेखा) एवं बजट अनुभाग

सं. आरएस 13/1/18/स्था.(लेखा) और बजट   दिनांक 11 जून, 2018

परिपत्र सं.-5

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बट्टे खाते में डाली गई/माफ की गई हानियों, अशोध्य देय राशियों और अनुग्रह अदायगियों के विवरण के सबंध में।

10,000/- रुपये से ज्यादा की लघु हानियों, बट्टे खाते में जानेवाली और अनुग्रह अदायगियों इत्यादि से जुड़े मामलों, जिनमें प्रत्येक में हानि हुई है, के विवरण को मार्च, 2018 में समाप्त हुए वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन - संघ सरकार (संघ सरकार के खाते) में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है।

2. तदनुसार, सभी संबंधित अनुभागों/शाखाओं से निवेदन है कि वे वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान घटित 10,000/- रुपये से ज्यादा की लघु हानियों, बट्टे खाते में जाने वाली और अनुग्रह अदायगियों से जुड़े प्रत्येक मामले से संबंधित अपेक्षित सूचना (मंजूरी आदेश, यदि कोई हो, सहित संलग्न प्रोफ़ार्मा में) प्रस्तुत करें।

3. उक्त सूचना **2 जुलाई, 2018** तक इस अनुभाग में प्रस्तुत की जाए, ताकि उसे डी जी ए सी आ र के कार्यालय में सही समय पर अग्रेषित करने हेतु संकलित करके वेतन और लेखा कार्यालय के पास भेजा जा सके।

4. जिन अनुभागों/शाखाओं का संबंध वर्ष 2017-18 के दौरान लघु हानियों, बट्टे खाते में डाली गई, अनुग्रह अदायगियों इत्यादि के मामलों से नहीं है वे अधोहस्ताक्षरी को 'शून्य' प्रतिवेदन भेजें।

(अश्विनी कुमार)
उप सचिव
दूरभाष सं. 23034532 (का.)

सेवा में,

सभी अनुभाग।

2017-18 के दौरान बट्टे खाते में डाली गई/माफ की गई हानियों और अशोध्य देय राशियों का विवरण

(रुपए लाख में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	**हानियों और अशोध्य देय राशियों का बट्टे खाते डाले जाने का कारण**									
	प्रणाली का असफल होना		**लापरवाही/ धोखाधड़ी इत्यादि**		**अन्य कारण**		**वसूली की माफी**		**अनुग्रह अदायगी**	
	मामलों की संख्या	कुल राशि	कुल मामले	कुल राशि	कुल मामले	कुल राशि	कुल मामले	कुल राशि	कुल मामले	कुल राशि